POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 04.10.2025

1. थाना फेस-3 पुलिस द्वारा सरकारी नौकरी की परीक्षा में फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से परीक्षार्थी के विभिन्न दस्तावेज, 01 मोबाइल फोन, 01 लेपटॉप, 5000 रुपये नकद व अन्य प्रपत्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **04.10.2025** को **थाना फेस-3 पुलिस** को सूचना प्राप्त हुई कि किसी परीक्षार्थी की जगह फर्जी दस्तावेज़ का उपयोग कर परीक्षा दी जा रही है। उक्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विश्व भास्कर पुत्र नन्दकिशोर को आदर्श परीक्षा केंद्र, सेक्टर-64, नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से परीक्षार्थी मोहित कुमार मीना के नाम पर एक मूल आधार कार्ड, एक प्रमाणित एडमिट कार्ड, आवेदन फार्म **IBPS** (6 वर्क), आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति, **IBPS** से प्राप्त दस्तावेज़ (4 वर्क) और आधार कार्ड का **QR** स्कैन स्क्रीनशॉट व अभियुक्त की निशानदेही से 01 आईफोन, 01 **HP** लैपटॉप पोली स्टूडियो, 5000 रुपये नकद व 01 चार्जर व अभियुक्त के 02 आधार कार्ड बरामद किए गए है।

पूछताछ का विवरण--

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों से संपर्क कर उन्हें परीक्षा पास कराने का भरोसा दिलाता था और इसके लिए पैसे लेता था। इसके बाद वह परीक्षार्थी के नाम पर फर्जी/कूटरचित दस्तावेज (एडमिट कार्ड व आधार कार्ड) तैयार कराता और उन दस्तावेज़ों के आधार पर परीक्षार्थी की जगह परीक्षा में सम्मिलित हो जाता था। अभियुक्त ने **IIM** इंदौर से **MBA** किया है व वर्तमान में गुड़गाँव की **MNC** में कार्य करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

विश्व भास्कर पुत्र नन्दकिशोर सिन्हा निवासी गाँव बाधाटीला, जोघनबीघा, थाना बेलची, पटना (बिहार) वर्तमान पता आश्रय विहार कॉलोनी, थाना रुपनपुरा, पटना (बिहार), उम्र करीब 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 421/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/ बीएनएस व 7/11/13(3) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश- 2024, थाना फेस-3, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. परीक्षार्थी के 01 मूल आधार कार्ड, 01 प्रमाणित एडमिट कार्ड, आवेदन फार्म **IBPS (**6 वर्क**)**, आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति, **IBPS** से प्राप्त दस्तावेज़ (4 वर्क) और आधार कार्ड का **QR** स्कैन स्क्रीनशॉट
2. अभियुक्त का 01 आईफोन, 01 **HP** लैपटॉप पोली स्टूडियो, 5000 रुपये नकद, 01 चार्जर व 02 आधार कार्ड।

2. थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा फर्जी वैट सेटलमेंट आदेश तैयार कर कंपनी का लगभग ₹1.21 करोड़ का गबन करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **04.10.2025** को **थाना सेक्टर-142 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से फर्जी वैट सेटलमेंट आदेश तैयार कर वादी की कंपनी का लगभग ₹1.21 करोड़ का गबन करने वाला अभियुक्त चैतन्य चौहान उर्फ चमन सिंह पुत्र श्री नन्हे सिंह को गुरुग्राम सेक्टर-32 से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 05.08.2025 को वादी द्वारा दी गई तहरीर दी गई कि अभियुक्त चैतन्य चौहान उर्फ चमन सिंह पुत्र श्री नन्हे सिंह (पूर्व मैनेजिंग टेक्सेशन) ने अपने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर वैट टैक्स भुगतान के फर्जी सेटलमेंट आदेश तैयार किए और वादी की कंपनी के लगभग ₹1.21 करोड़ का धोखाधड़ीपूर्वक गबन किया। उक्त प्रकरण में थाना सेक्टर-142 पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त चमन सिंह, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वादी की कंपनी में घोटाला करने के बाद वर्तमान में गुड़गांव स्थित एक कंपनी में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

चैतन्य चौहान उर्फ चमन सिंह पुत्र श्री नन्हे सिंह निवासी आसपुर नाथंन गावड़ी, पोस्ट गजस्थल, नजरपुर कलाँ, अमरोहा वर्तमान पता वसुन्धरा ग्रान्ट, गाजियाबाद, उम्र 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 155/2025 धारा 420/408/467/468/471/472/484/475/120B भादवि व 66 डी आई.टी. थाना सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर।